

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या -2148/2013/चित्तौड़गढ़

मैसर्स अम्बिका बार एण्ड रेस्टोरेन्ट
चित्तौड़गढ़

.....अपीलार्थी.

बनाम्
सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट प्रथम, चित्तौड़गढ़

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित : :
श्री प्रदीप गहलोत
अभिभाषक।
श्री अनिल पोखरणा
उप-राजकीय अभिभाषक।

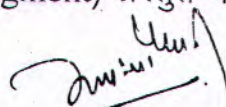
.....अपीलार्थी स्वयं.

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 16.08.2018

निर्णय

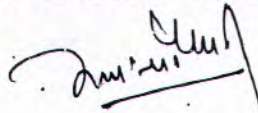
1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अतिरिक्त आयुक्त अपीलीय प्राधिकारी वाणिज्यिक कर विभाग उदयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा गया है) के अपील सं. 76/वैट/2012-13/चित्तौड़गढ़ में पारित किये गये आदेश दिनांक 21.11.2013 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी घट चित्तौड़गढ़ (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा आदेश 11.2013 के तहत अपीलार्थी के चारों तिमाही रिटर्न समय पर प्रस्तुत नहीं के कारण वैट नियम 19ए के तहत शास्ति रुपये 85,308/- व ब्याज रुपये कुल मांग राशि 86,536/- रुपये विलम्ब शुल्क का आरोपण किया गया। अपीलार्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी, जिसमें अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 21.11.2013 को अपीलार्थी की अपील को अस्वीकार कर दी गयी। अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.11.2013 से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गयी है।
3. उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।
4. अपीलार्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेश का खण्डन करते हुए कथन किया गया कि अपीलार्थी द्वारा वर्ष 2010-11 के चारों तिमाही रिटर्न विभाग की वेबसाईट पर समय पर प्रस्तुत कर दिये थे। विभाग की ऑफिशियल वेबसाईड पर विवरण प्रपत्र के प्रस्तुत किये जाने की उक्त ऑफिशियल वेबसाईड जेनरेटेड पावती (Acknowledgment) प्रस्तुत कर दी गयी थी। इसके बाद भी कर



लगातार.....2.

निर्धारण अधिकारी द्वारा शास्ति का आरोपण किया गया, जो विधि विरुद्ध है। वेट अधिनियम की धारा 58 को 15.04.2011 से विलोपित कर दिया गया है। आलौच्य अवधि 2010-11 के तिमाही विवरण प्रपत्र वेट-10 प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 30.04.2012 थी और उससे पूर्व ही दिनांक 15.04.2011 से धारा 58 को विलोपित कर दिया गया था। अपीलार्थी व्यवहारी का आगे यह भी कथन रहा है कि जब आलौच्य अवधि 2010-11 के विवरण प्रपत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि तथा कर निर्धारण आदेश की दिनांक 07.01.2013 को धारा 58 के प्रावधान अस्तित्व में ही नहीं थे तब धारा 58 के तहत शास्ति आरोपित किया जाना विधिसम्मत नहीं है। अपीलीय अधिकारी द्वारा भी कर निर्धारण अधिकारी के आदेश की पुष्टि किये जाने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की गयी है। अतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त कर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

5. प्रत्यर्थी राजस्व के विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलीय अधिकारी व कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि के विवरण प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 21 सपठित नियम 19ए के प्रावधानों की अवहेलना किये जाने के कारण अधिनियम की धारा 58 के तहत शास्ति तथा कर की राशि राजकोष में विलम्ब से जमा कराये जाने के कारण ब्याज का आरोपण विधि अनुसार किया गया था, जिसकी पुष्टि किये जाने में अपीलीय अधिकारी ने कोई त्रुटि कारित नहीं की गयी है। अतः उक्त तर्कों के परिपेक्ष में विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।
6. उभयपक्षों की बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया गया।
7. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि वर्ष 2010-11 के चारों तिमाही रिटर्न विवरण प्रपत्र की प्राप्ति रसीद प्रस्तुत कर दी गयी थी। कर निर्धारण पत्रावली के अध्ययन में पाया गया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 07.01.2013 में प्रथम पैरा में अंकित किया है कि "व्यवसायी द्वारा आलौच्य अवधि में वेट-10 की प्राप्ति रसीद ही प्रस्तुत की है, जबकि नियमानुसार उसको सम्पूर्ण रिटर्न जो प्रोपराईटर अथवा व्यवसायी प्रबन्धक द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तुत करना था, जो उसके द्वारा नहीं किया गया। व्यवसायी को कारण बताओं सूचना पत्र दिनांक 07.01.2013 के लिये जारी किया गया परन्तु व्यवसायी द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः नियम 19ए की अवहेलना स्वरूप शास्ति धारा 58 के तहत आरोपित की जाती है।"



लगातार.....3.

इस प्रकार आलौच्य अवधि के चारों तिमाही के वेट-10 विवरण प्रपत्र हस्ताक्षरयुक्त प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण कर निर्धारण की दिनांक 07.01.2013 तक प्रत्येक तिमाही का विवरण प्रपत्र को 252 दिन विलम्ब मानकर धारा 58 के तहत कर निर्धारण अधिकारी द्वारा शास्ति का आरोपण किया गया। विवरण प्रपत्र प्रस्तुत करने के संबंध में नियम 19(2) राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर नियम, 2006 (जिसे आगे वेट नियम कहा जायेगा) के प्रावधानों का उल्लेख किया जाना समीचीन है, नियम 19(2) के प्रावधान दिनांक 14.07.2014 से पूर्व निम्न प्रकार थे -

(2) Every dealer shall submit return electronically through the official web-site of the department, unless otherwise notified by the Commissioner. The return shall be digitally signed by the dealer or his business manager and in case it is not digitally signed, the dealer shall furnish, the acknowledgement generated through official Web-Site of the Department and shall be verified by himself or his business manager by affixing his signature on it, within fifteen days of the last date for filing of such return(s) and in case the return(s) is filed after the last date of filing of return(s), within fifteen days of the filing of such late return(s), failure to do so shall be deemed to be a case of non filing of return(s).

8. नियम 19(2) के प्रावधान दिनांक 14.07.2014 से प्रभावी निम्न प्रकार हैं -

(2) Every dealer shall submit return electronically through the official website of the department, unless otherwise notified by the Commissioner. The return shall be digitally signed by the dealer or his business manager.

However, where the dealer has given his consent to use the official website for submitting return in the prescribed manner, he may submit return without digital signature.

However, for the period prior to 01.04.2014, if the dealer has failed to furnish the signed copy of acknowledgement generated through the official website of the department, within the time prescribed under the rules which were in force at that time, the date of submission of signed copy of said acknowledgement shall be deemed to be the date of the filing of the return.

9. इस प्रकार आलौच्य अवधि के लिये नियम 19(2) के अनुसार विभाग की ऑफिशियल वेबसाईड पर विवरण प्रपत्र के प्रस्तुत किये जाने की उक्त ऑफिशियल वेबसाईड के द्वारा जेनरेटेड पावती (Acknowledgment) की हस्ताक्षरयुक्त कॉपी प्रस्तुत जाना आवश्यक था। यह निर्विवादित है कि व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि वर्ष 2010-11 के चारों तिमाही रिटर्न विवरण प्रपत्र की प्राप्ति रसीद प्रस्तुत कर दी गयी थी, किन्तु उक्त पावती रसीद हस्ताक्षरयुक्त नहीं थी। जिसके लिये कर निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 58 के तहत शास्ति आरोपित करने का आदेश पारित किया गया। यह उल्लेखनीय है कि राजस्थान कर बोर्ड की वृहद पीठ द्वारा अपील सं. 1063/2015/टोक में दिनांक 07.03.2018 को पारित निर्णय में दिनांक 15.04.2011 से 31.07.2014 की अवधि में विवरण प्रपत्र प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि -

लगातार.....4.

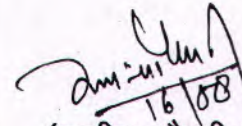
In case of non-filing of returns between the period 15-04-2011 and 31-07-2014 since no specific provision existed for levy of late fees for non-filers, the late fee is not leviable. As the section 58 was deleted on 15-04-2011 and sub section (4) of section 24 was substituted on 31-07-2014 for levy of penalty for non-filing of returns, therefore, in such cases, the only recourse available to the assessing authorities was to levy penalty u/s 64 of the Act, categorized as "penalty for other violations."

10. यहां यह उल्लेख किया जाना आवश्यक एवं सुसंगत है कि राजस्थान वित्त विधेयक 2011 द्वारा वेट अधिनियम की धारा 58 को 15.04.2011 से विलोपित कर दिया गया है। आलौच्य अवधि 2010-11 के तिमाही विवरण प्रपत्र वेट-10 प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 30.04.2012 थी और उससे पूर्व ही दिनांक 15.04.2011 से धारा 58 को विलोपित कर दिया गया था। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विलम्ब की अवधि में विवरण प्रपत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम दिनांक 30.04.2012 के पश्चात् से कर निर्धारण की दिनांक 07.01.2013 तक की अवधि को विलम्ब में सम्मिलित किया गया है। धारा 58 के विलोपित किये जाने के पश्चात् आलौच्य अवधि के विवरण प्रपत्र प्रस्तुत करने की अवधि शेष थी या यह कहा जाये कि विवरण प्रपत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 30.04.2012 को तथा कर निर्धारण आदेश पारित करने की दिनांक 07.01.2013 को धारा 58 प्रवर्तन में नहीं थी। अतः जब आलौच्य अवधि 2010-11 के विवरण प्रपत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि तथा कर निर्धारण आदेश की दिनांक 07.01.2013 को धारा 58 के प्रावधान अस्तित्व में ही नहीं थे तब धारा 58 के तहत शास्ति आरोपित किया जाना विधिसम्मत नहीं है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 58 के तहत शास्ति का आरोपित किये जाने में तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा इसकी पुष्टि किये जाने में विधिक त्रुटि कारित की गई है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 58 के तहत आरोपित शास्ति एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा उसकी पुष्टि का आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।
11. कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 1228/- रुपये का ब्याज भी आरोपित किया गया। उक्त ब्याज कर की राशि विलम्ब से जमा कराये जाने के कारण आरोपित किया गया। अपीलीय अधिकारी द्वारा भी कर विलम्ब से जमा कराये जाने के कारण उक्त ब्याज के आरोपण की पुष्टि की गयी है। अपीलार्थी द्वारा वर्तमान अपील में उक्त ब्याज की राशि के आरोपण के संबंध में कोई बल नहीं दिया गया है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित ब्याज एवं उक्त ब्याज की अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि की आदेश को यथावत रखे जाने योग्य है।
12. अतः उपरोक्त समस्त विवेचनानुसार अपीलार्थी व्यवहारी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।



लगातार.....5.

14. परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है। कर निर्धारण आदेश दिनांक 07.01.2013 द्वारा धारा 58 के तहत आरोपित शास्ति एवं अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 21.11.2013 द्वारा उक्त आरोपित शास्ति की पुष्टि का आदेश अपास्त किया जाता है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित ब्याज एवं उक्त ब्याज की अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि के आदेश को यथावत रखा जाता है।
15. निर्णय सुनाया गया।


16/08/18
(राजीव चौधरी)
सदस्य